न्यायालय-जगदीश राम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01
जिला कबीरधाम (कवर्धा) छत्तीसगढ़

क्र0Q /प्र0व्य0न्या0वर्ग–01/2017 कबीरधाम दिनांक–08.12.17

प्रति,

माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय,
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

विषय :– प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।

––00–

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पांच एंव दस वर्षो से अधिक समय से लंबित व्यवहार वादों की विशेष सूची तैयार की गई है, जिन्हें दिन–प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा ।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

विशेष सूची

क0	प्रकरण का प्रकार एंव कमांक	पक्षकार का नाम	वादी अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी अधि0 का नाम	संस्थित दिनांक	अगली सुनवाई तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	सिविल वाद क्र. 16अ/15	सोहागाबाई विरूद्ध राजाराम वगैरह	श्री आर0एस0 साहू	श्री अखिल वर्मा,	31.03.15	11.12.17	शेष वादी साक्ष्य हेतु
2.	सिविल वाद क्र. 161अ/14	पुरूषोत्तम सिह वगै0 विरूद्ध पुरन सिह वगैरह	श्री शेखर बख्शी	श्रीएम0एस0 परिहार,एन0 आर0साहू	29.11.14	13.12.17	वादी साक्ष्य हेतु

(जगदीश राम)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)

MEMO-2017

पृ.क्रमांक क्र / प्र0व्य0न्या0वर्ग–1 / 2017 कबीरधाम, दिनांक– 08.12.17

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, संबंधित अधिवक्ता को सुचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
2 कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा किए जाने हेतु।
3 प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चस्पा किए जाने हेतु।
4 कम्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के बेबसाईट में उपलब्ध करवाये जाने हेतु।

नोटः– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष पांच एंव दस वर्षो से अधिक समय से लंबित व्यवहार वादो की विशेष सूची तैयार की गई है, उक्त प्रकरणों में अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदान नही किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन–प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरंतर तब तक नियत किया जावेगा,जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावें व प्रकरण अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे। सूची में दर्शाये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो **दिनांक 11.12.17** तक प्रस्तुत कर सकते है।

8/12/17

(जगदीश राम)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)